



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified



पत्रांक:-रू0वि0/रासेयो/2026/ 1024-1031
सेवा में,

दिनांक:-29.09.2026

समस्त प्रबंधक/प्राचार्य/प्राचार्या,
राष्ट्रीय सेवा योजना से आच्छादित सम्बद्ध महाविद्यालय
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना के पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते की (डी0ओ0 ऑपरेटर) लॉगिन सुविधा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराने एवं वित्तीय सूचनाओं को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 09.09.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु समय-समय पर उपलब्ध करए जाने वाले अनुदान एवं उससे सम्बन्धित वित्तीय लेन-देन की जानकारी पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) प्रणाली के माध्यम से संचालित एवं सत्यापित की जाती है।

उक्त शासनादेश/पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत संचालित जेड0बी0एस0ए0 खातों से सम्बन्धित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को अद्यतन रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि कुछ महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों को पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते की डी0ओ0 (डाटा ऑपरेटर) लॉगिन सुविधा/अधिकृत Login Credentials उपलब्ध नहीं हैं तथा खाते से सम्बन्धित ऑनलाईन वित्तीय जानकारी का नियमित रूप से अवलोकन एवं सत्यापन भी कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान, उपलब्ध धनराशि एवं वित्तीय लेन-देन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं को समय से संकलित एवं प्रमाणित कर शासन/विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध रा0से0यो0 से आच्छादित समस्त महाविद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्य/प्राचार्या/को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें:-

1. रा0से0यो0 से सम्बन्धित पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाता संयुक्त रूप से प्राचार्य एवं रा0से0यो0 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रथक-प्रथक इकाई के लिए प्रथक-प्रथक खुलवाया जाये एवं खाते की अधिकृत डी0ओ0 (डाटा ऑपरेटर) लॉगिन सुविधा सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी तथा डी0ए0 (डाटा अप्रूवर) लॉगिन सुविधा सम्बन्धित प्राचार्य को तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि वे खाते की वित्तीय स्थिति एवं लेन-देन की जानकारी का नियमित रूप से अवलोकन एवं सत्यापन कर सकें।
2. पी0एफ0एम0एस0 खाते की लॉगिन आई0डी0/अधिकृत Credentials की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा उनका उपयोग केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ पासवर्ड अथवा अन्य संवेदशील लॉगिन जानकारी साझा नहीं की जाए।
3. सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते में रा0से0यो0 अनुदान की प्राप्ति, व्यय एवं अन्य वित्तीय लेन-देन की स्थिति से नियमित रूप से स्वयं को अद्यतन रखा जाए।
4. यदि किसी महाविद्यालय को डी0ओ0 लॉगिन उपलब्ध नहीं है, निष्क्रिय है अथवा लॉगिन/अकाउंट संचालन में तकनीकी समस्या आ रही है, तो सम्बन्धित महाविद्यालय तत्काल आवश्यक स्तर पर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को इसकी सूचना उपलब्ध कराएँ।
5. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मांगी जाने वाली पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते से सम्बन्धित वित्तीय सूचना निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. सभी प्राचार्य/प्राचार्या यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालय के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी को पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते की अधिकृत डी0ओ0 लॉगिन सुविधा उपलब्ध है तथा वे खाते में प्राप्त अनुदान एवं वर्तमान वित्तीय स्थिति से पूर्णतः अवगत हैं।

क्रमांक: 02 पर अंकित है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरण की संक्षिप्त अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय के रा0से0यो0 कोष्ठक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए:-

क्र0स0	महाविद्यालय का नाम	एन0एस0एस0 इकाई संख्या	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	पी0एफ0एम0एस0 लॉगिन आई0डी0 है, अथवा नहीं।	वर्तमान खाते की स्थिति	टिप्पणी

विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी महाविद्यालय में डी0ओ0 लॉगिन से सम्बन्धित कोई समस्या है तो उसे "उपलब्ध" दर्शाने के स्थान पर समस्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि उसका आवश्यक स्तर पर निराकरण कराया जा सके।

यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। अतः सभी प्राचार्य/प्राचार्या व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण हो तथा रा0से0यो0 से सम्बन्धित पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते की वित्तीय जानकारी विश्वविद्यालय/शासन को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराने अथवा पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते से संबंधित जानकारी के अभाव में शासन/विश्वविद्यालय को सूचना प्रेषित करने में होने वाले विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या एवं सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

अतः अपेक्षा है कि इस को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

संलग्न:-उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रा0से0यो0 प्रकोष्ठ लखनऊ का पत्र दिनांक 09.09.2026 की प्रति पी0एफ0एम0एस0 (जेड0बी0एस0ए0) खाते से सम्बन्धित अनुपालन आख्या का प्रारूप।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक महोदय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय भवन आठवॉ तल, हाल न0-1, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ, के संज्ञानार्थ-226024
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी महोदय, रा0से0यो0को0, उच्च शिक्षा विभाग, कक्ष संख्या-55, बहुखण्डी भवन, तृतीय तल, सचिवालय, उ0प्र0 शासन लखनऊ, के संज्ञानार्थ-226001
3. कुलसचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय, बरेली परिक्षेत्र को शासन के निर्देशों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक 20.9.24
राष्ट्रीय सेवा योजना